संख्या 538/वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल,देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून,दिनांक: 16 जुलाई,2004

विषय:– राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय के लिये अधिकतम धनराशि की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–3–6234/दस–89–4(1)/89 कम्प्यूटर, दिनांक 7–12–89 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रथम बार कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा रुपये 80,000/– एवं दूसरी बार लिये जाने पर अधिकतम सीमा रुपये 75,000/– किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम उन्हें ही अनुमन्य होगा जिन्हें मोटर कार अग्रिम अनुमन्य है।ब्याज की दरें मोटर कार अग्रिम की भाँति होंगी।
2. राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज सहित वसूली उनके वेतन से अधिकतम 150 मासिक किश्तों में की जायेगी ।
3. जिन कर्मचारियों को पूर्व में मोटर कार अग्रिम स्वीकृत किया गया है उन्हें व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब मोटर कार अग्रिम की तिथि से कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो । इसी प्रकार ऐसे कर्मचारियों को मोटर कार अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब व्यक्तिगत कम्प्यूटर लेने की तिथि में कम से कम 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।
4. स्वीकृत किए जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की ब्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा समय–समय पर मोटर कार अग्रिम हेतु निर्धारित की जाती है।
5. ऋण अग्रिम के मूल एवं ब्याज की कटौती में व्यवधान की स्थिति में न काटी गयी किश्त/किश्तें एक मुश्त अगली किश्त के साथ काट ली जायेगी। इसके साथ ही ऋण अग्रिम लेने वाले कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह न जमा की गयी किश्तों की धनराशि एक मुश्त ट्रेजरी चालान के द्वारा कोषागार में जमा करेंगे, अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में प्रतिमाह के आधार पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।
6. व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिये कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
7. उक्त के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
8. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
9. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग –1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त

संख्याः 538(1)/वि0अनु0–1/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त